प्रेस नोट
साइबर जागरूकता अभियान
दिनांक 10.12.2024

ऑपरेशन "साइबर कवच" के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा SCPM कॉलेज के छात्र/छात्राओं व स्टाफ को साइबर अपराध से बचाव हेतु जागरूक कर बनाया गया साइबर वॉलंटियर

ऑपरेशन "साइबर कवच" के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा SCPM कॉलेज के छात्र/छात्राओं व स्टाफ को साइबर अपराध से बचाव हेतु किया गया जागरूक

SCPM कॉलेज के छात्र/छात्राओं व स्टाफ को साइबर वॉलंटियर बनाकर आमजनमानस को जागरूक करने हेतु किया गया प्रेरित

साइबर अपराध को इंटरनेट और कंप्यूटर के अवैध उपयोग के रूप में उल्लेखित किया जा सकता है। तकनीकी के विकास के चलते अपराधी भी अपराध करने के नये-नये तरीके इजाद कर रहे है। आजकल प्रत्येक व्यक्ति मोबाइल व इण्टरनेट बैकिंग का प्रयोग कर रहा है। इंटरनेट के प्रयोग किये जाने से जानकारी के अभाव में कई लोग साइबर अपराध का शिकार हो जाते हैं। इसको दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक श्री विनीत जायसवाल द्वारा जनपद गोण्डा में आमजन को साइबर अपराध से बचाव एवं इससे निपटने के लिये बरती जाने वाली सावधानियों के प्रचार प्रसार हेतु जनपद में ऑपरेशन "साइबर कवच" अभियान की शुरूआत की गई है। इस अभियान के अन्तर्गत जनपद के सभी थाना प्रभारी, क्षेत्राधिकारी व अपर पुलिस अधीक्षक प्रतिदिन विद्यालयों, प्रतिष्ठित संस्थाओं एवं महत्वपूर्ण स्थानों पर वर्कशॉप एवं गोष्ठियां कर इंटरनेट के माध्यम से हो रहे इन अपराधों के बारे में जानकारी दे रहे है और इंटरनेट के प्रयोग के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में जानकारी दी जा रही है। इसके अतिरिक्त विद्यालयों में पम्पलेट वितरित कर महत्वपूर्ण स्थानों पर पम्पलेट/पोस्टर चस्पा किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

आज दिनांक 10.12.2024 को पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा SCPM कॉलेज में छात्र-छात्राओं एवं स्कूल के स्टाफ के साथ वर्कशाप का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम कालेज के निदेशक डा0 आयुष पाण्डेय द्वारा महोदय को बुके भेंट कर स्वागत किया गया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा प्रेजेंटेशन (PPT) के माध्यम से सभी को साइबर अपराध की जानकारी दी गयी और बताया कि इंटरनेट के उपयोग की सही जानकारी होने पर साइबर अपराध से बचा जा सकता है । इसी क्रम में ATM में ट्रांजेक्सन करते समय अन्य कोई व्यक्ति उपस्थित न रहे, बैंक के नाम पर टेलीफोन कॉल पर एटीएम/बैंक अकाउंट्स सम्बन्धी कोई जानकारी जैसे OTP, CVV नम्बर आदि कभी भी किसी से साझा न करे। बीमा कम्पनी, नौकरी.कॉम के नाम से कॉल किये जाने पर बिना सत्यापन किये कोई जानकारी न दे। इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफार्म जैसे व्हाट्सअप, ट्विटर(X), फेसबुक व इंस्टाग्राम पर अपनी व्यक्तिगत जानकारी सार्वजनिक न करें क्योंकि कोई भी व्यक्ति आसानी से आपकी जानकारी का इस्तेमाल कर दुरूपयोग कर सकता है। इस प्रकार के एप्स डाउनलोड किये जाते समय प्राईवेसी सम्बन्धी आप्शन का भली-भांति अवलोकन करने के बाद ही सहमती/असहमती देते हुए प्रक्रिया पूर्ण करें। फर्जी लॉटरी लगने का कॉल करने वालों को कभी अपनी बैंक की डिटेल शेयर न करें। डिजिटल अरेस्ट से बचाव हेतु बताया गया कि किसी भी अनजान

कॉल/मैसेज पर प्रतिक्रिया न दें, टावर लगाने के नाम पर भी लोगों से ठगी की जाती है, इससे बचने हेतु किसी अज्ञात बैंक खाता में पैसा जमा न करें। कोई कम्पनी कम लागत में अधिक पैसे कमाने का लालच देती है तो सावधान रहिये ऐसी कंपनी फर्जी होती हैं जो आपका पैसा लेकर कंपनी को बंद कर भाग जाते हैं। ठगों द्वारा फर्जी ऑफिस खोलकर, कम ब्याज दर पर अधिक लोन, बिना किसी कागज के आसानी से लोन दिलवाने हेतु फर्जी विज्ञापन प्रसारित किया जाता है और प्रोसेसिंग फीस के रुप में एकाउंट में रुपये जमा कराके फरार हो जाते है। मोबाइल व सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स के सुरक्षित प्रयोग के बारे में भी बताया गया। छोटी-छोटी बातों को ध्यान में रखकर इंटरनेट प्रयोग किये जाने पर साइबर अपराध के शिकार होने से बचा जा सकता है। जागरूक बनें और अपने धन की स्वयं सुरक्षा करने के सिद्वान्त पर काम करें। अन्त में महोदय द्वारा सभी छात्र-छात्राओं व स्कूल के स्टाफ को **साइबर वॉलंटियर** बनाया गया तथा अपेक्षा की कि वर्कशॉप में दी गई जानकारी को अपने परिवार, आस-पड़ोस में अधिक से अधिक लोगों को बतायें जिससे की कोई भी व्यक्ति जानकारी के आभाव में साइबर अपराधियों का शिकार न हो। इसी दौरान वर्कशाप में उपस्थित कालेज के छात्र व स्टाफ को पम्पलेट वितरित किये गये तथा स्कूल के अन्य छात्रों को जागरुक करने हेतु पोस्टर एवं बुकलेट उपलब्ध करायी गयी।

साइबर सुरक्षा टिप्स-

01. ऑनलाइन लेन-देन में सावधानी बरतें

02. किसी भी अनजान फोन कॉल पर अपनी बैंक डिटेल, ओटीपी, बायोमैट्रिक डेटा, पैन कार्ड व आधार कार्ड की डिटेल किसी के साथ साझा न करें।

03. सोशल मीडिया पर व्यक्तिगत जानकारी साझा न करें।

04. अनजान लिंक्स पर क्लिक न करें।

05. अपने डिवाइस को सुरक्षित रखें।

06. ऑनलाइन शॉपिंग में सुरक्षित वेबसाइट्स का उपयोग करें।

07. पासवर्ड को मजबूत और गुप्त रखें।

08. ऑनलाइन गतिविधियों पर निगरानी रखें।

09. साइबर बुलिंग और साईबर स्टॉकिंग के मामलों में तुरंत पुलिस को सूचित करें।

10. ऑनलाइन उत्पीड़न के मामलों में कंपनी प्रबंधन और पुलिस को सूचित करें।

11. साइबर क्राइम की रिपोर्ट करने के लिए हेल्प लाइन नम्बर 1930 का प्रयोग करें।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक 10.12.2024, थाना खरगुपुर

जनपद गोण्डा।

थाना खरगुपुर पुलिस द्वारा अवैध मादक पदार्थ के साथ 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 01 किलो 100 ग्राम अवैध गांजा बरामद-

कार्यवाहीः-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री सौरभ वर्मा के कुशल नेतृत्व में थाना खरगूपुर पुलिस द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान अवैध मादक पदार्थ (01 किलो 100 ग्राम अवैध गांजा) के साथ अभियुक्त लल्लू उर्फ दयाराम पाण्डेय पुत्र राधेश्याम पाण्डेय निवासी ग्राम सिसई माफी थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा को बहदग्राम पिपरा चौबे से गिरफ्तार कर कब्जे से 01 किलो 100 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया । गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना नवाबगंज में मु0अ0स0- 283/2024 धारा 8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट पंजीकृत किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 10.12.2024 को थाना खरगूपुर के उ0नि0 सुरेश चन्द्र मिश्रा मय फोर्स शांति व्यवस्था हेतु क्षेत्र भ्रमण में रवाना थे कि बहदग्राम पिपरा चौबे के पास अवैध गांजा बेचने की सूचना प्राप्त हुआ। उक्त सूचना पर संदिग्ध व्यक्ति की तलाशी की गयी तो उसके कब्जे से अवैध मादक पदार्थ (01 किलो 100 ग्राम अवैध गाँजा) बरामद कर अभियुक्त लल्लू उर्फ दयाराम पाण्डेय पुत्र राधेश्याम पाण्डेय निवासी ग्राम सिसई माफी थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा को गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना खरगूपुर में मु0अ0स0- 283/2024 धारा 8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना खरगूपुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01\. लल्लू उर्फ दयाराम पाण्डेय पुत्र राधेश्याम पाण्डेय निवासी ग्राम सिसई माफी थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01\. मु0अ0स0- 283/2024 धारा 8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

1\. 01 किलो 100 ग्राम गाँजा(अवैध मादक पदार्थ) बरामद।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01\. उ0नि0 सुरेश चन्द्र मिश्रा

02\. का0 रविशंकर खरवार

03\. का0 रोहित कुमार

मीडिया सेल, गोण्डा।

<u>प्रेस नोट</u>
<u>दिनांक 10.12.2024, थाना कोतवाली देहात</u>
<u>जनपद गोण्डा।</u>

थाना को0 देहात पुलिस द्वारा 03 हत्याभियुक्ताओं को किया गया गिरफ्तार, आलाकत्ल व विवादित खिलौना आदि बरामद-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री सौरभ वर्मा के नेतृत्व में थाना को0देहात पुलिस द्वारा थाना स्थानीय में पंजीकृत मु0अ0सं0-523/24, धारा 103(1), 115(2), 351(3) बीएनएस से सम्बन्धित नामजद 03 आरोपी अभियुक्ता 01. सुमन देवी उर्प सोमना देवी, 02. प्रेमलता, 03. कु0बन्दना उर्फ सुघरा को मुन्नन खाँ तिराहे से गिरफ्तार कर लिया गया तथा घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल ईंट, डण्डा, बांस का टुकड़ा, घटनास्थल से टूटी हुई चूड़ी व विवादित खिलौना(बस प्लास्टिक का) आदि बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 09.12.2024 को समय करीब दोपहर 2:00 बजे थाना को० देहात पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि चौकी खोरहंसा क्षेत्रांतर्गत ग्राम सरैया मछलीगांव में दो सगे भाइयों के परिवार की महिलाओं के मध्य छोटे बच्चों के खिलौने को लेकर झगड़ा हो गया, जिसमें नीलम पत्नी मंशाराम सोनकर को उनके भाई के परिवार की महिलाओं द्वारा लाठी डंडे से मार दिया गया, जिससे नीलम के सर में गंभीर चोट आ गई जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई । सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस एवं उच्च अधिकारियों द्वारा मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया । मृतका के शव का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है। मृतक के पति मंशाराम की लिखित तहरीर के आधार पर थाना को0देहात में मु0अ0सं0-523/24, धारा 103(1), 115(2), 351(3) बीएनएस बनाम गौरीशंकर आदि 04 नफर अभियुक्तों के विरूद्ध नामजद अभियोग पंजीकृत किया गया था। पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में पुलिस टीमों का गठन कर प्रभारी निरीक्षक को0देहात को घटना में संलिप्त अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए थे। आज दिनांक 10.12.2024 को थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन के दौरान दोषी पाये गये 03 आरोपी अभियुक्ता 01. सुमन देवी उर्प सोमना देवी, 02. प्रेमलता, 03. कु0बन्दना उर्फ सुघरा को मुन्नन खाँ तिराहे से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्ताओं के विरूद्ध थाना को0देहात पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. सुमन देवी उर्फ सोमना देवी पत्नी गौरीशंकर नि0 ग्राम पुरेतिवारी सरैया थाना को0देहात जनपद गोण्डा।
02. प्रेमलता पत्नी सुरेन्द्र निवासी ग्राम पुरेतिवारी सरैया थाना को0देहात जनपद गोण्डा।
3. कु0 बन्दना उर्फ सुघरा पुत्र गौरीशंकर निवासी ग्राम पुरेतिवारी सरैया थाना को0देहात जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-523/24, धारा 103(1), 115(2), 351(3) बीएनएस थाना को0देहात जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

01. घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल ईंट, डण्डा, बांस का टुकड़ा
02. घटना स्थल से टूटी हुई चूड़ी व विवादित खिलौना(बस प्लास्टिक का)

गिरफ्तारकर्ता टीम-

01. प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार सिंह थाना को0देहात, जनपद गोण्डा।
02. हे0का0 आत्मासिंह
03. हे0का0 अभिमन्यु गुप्ता
04. का0 रोहित कुमार सिंह
05. का0 जागेश्वर सिंह
06. का0 आलोक विश्वकर्मा
07. का0 रवि प्रताप सिंह
08. म0का0 रेखा भार्गव

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक 10.12.2024, थाना खरगूपुर

जनपद गोण्डा।

थाना खरगूपुर पुलिस द्वारा अवैध मादक पदार्थ के साथ 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 01 किलो 100 ग्राम अवैध गांजा बरामद-

कार्यवाही:-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री सौरभ वर्मा के कुशल नेतृत्व में थाना खरगूपुर पुलिस द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान अवैध मादक पदार्थ (01 किलो 100 ग्राम अवैध गांजा) के साथ अभियुक्त लल्लू उर्फ दयाराम पाण्डेय पुत्र राधेश्याम पाण्डेय निवासी ग्राम सिसई माफी थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा को बहदग्राम पिपरा चौबे से गिरफ्तार कर कब्जे से 01 किलो 100 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना नवाबगंज में मु0अ0स0- 283/2024 धारा 8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट पंजीकृत किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 10.12.2024 को थाना खरगूपुर के उ0नि0 सुरेश चन्द्र मिश्रा मय फोर्स शांति व्यवस्था हेतु क्षेत्र भ्रमण में रवाना थे कि बहदग्राम पिपरा चौबे के पास अवैध गांजा बेचने की सूचना प्राप्त हुआ। उक्त सूचना पर संदिग्ध व्यक्ति की तलाशी की गयी तो उसके कब्जे से अवैध मादक पदार्थ (01 किलो 100 ग्राम अवैध गाँजा) बरामद कर अभियुक्त लल्लू उर्फ दयाराम पाण्डेय पुत्र राधेश्याम पाण्डेय निवासी ग्राम सिसई माफी थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना खरगूपुर में मु0अ0स0- 283/2024 धारा 8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना खरगूपुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. लल्लू उर्फ दयाराम पाण्डेय पुत्र राधेश्याम पाण्डेय निवासी ग्राम सिसई माफी थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0स0- 283/2024 धारा 8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

1. 01 किलो 100 ग्राम गाँजा(अवैध मादक पदार्थ) बरामद।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 सुरेश चन्द्र मिश्रा
02. का0 रविशंकर खरवार
03. का0 रोहित कुमार

मीडिया सेल, गोण्डा

प्रेस नोट

दिनांक 10.12.2024, थाना को0नगर,

जनपद गोण्डा।

थाना को0 नगर पुलिस द्वारा नशीली गोलियों के साथ अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

कार्यवाहीः-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री सौरभ वर्मा के कुशल नेतृत्व में थाना को0 नगर पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र के दौरान नमकीन फैक्ट्री के पास करियापुरवा मोड़ से अभियुक्त भगवती शरण पाण्डेय पुत्र स्व0 किशोरीलाल पाण्डेय निवासी पोर्टरगंज थाना कोतवाली नगर जनपद गोण्डा को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 150 टेबलेट अल्प्राजोलम (नशीली गोलियां) बरामद कर थाना स्थानीय पर गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मु0अ0सं0-919/2024, धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

आज दिनांक 10.12.2024 को थाना को0 नगर के उ0नि0 रजनीश द्विवेदी मय फोर्स शांति व्यवस्था हेतु क्षेत्र भ्रमण में रवाना थे कि मुखबिर खास द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि नमकीन फैक्ट्री करियनपुरवा मोड़ के पास अवैध मादक पदार्थ के साथ 01 व्यक्ति खड़ा है प्राप्त सूचना के आधार पर पुलिस बल द्वारा बताये गए स्थान पर घेराबन्दी कर एक अभियुक्त भगवती शरण पाण्डेय पुत्र स्व0 किशोरीलाल पाण्डेय निवासी पोर्टरगंज थाना कोतवाली नगर जनपद गोण्डा को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 150 अदद नशीली गोलियां अल्प्राजोलम बरामद कर थाना स्थानीय पर गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मु0अ0सं0- 919/2024, धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश कराकर अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. भगवती शरण पाण्डेय पुत्र स्व0 किशोरीलाल पाण्डेय निवासी पोर्टरगंज थाना कोतवाली नगर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-0582/2024, धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

01. 150 टेबलेट अल्प्राजोलम (नशीली गोलियां)

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 रजनीश द्विवेदी

02. का0 नीलेश कुमार

मीडिया सेल, गोण्डा।